न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारी : उमरदीन खान,
आई.ए.एस.

प्रा0प0 संख्याः 30/2020

राजस्थान सरकार जरिये प्रर्वतन अधिकारी, मलसीसर, जिला झुंझुनूं।

– प्रार्थी

बनाम

राकेश कुमार पुत्र श्री कन्हैयालाल लुहारूका, वार्ड नं0 9, निवासी सरकारी हास्पिटल के पास, मलसीसर, जिला झुंझुनूं

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जप्त शुदा सामान राजसात करने बाबत।

उपस्थित : –

1. श्री रामावतार, विभागीय प्रतिनिधि –प्रार्थी की ओर से।
2. श्रीमती किरण बियाला, एडवोकेट–अप्रार्थी की ओर से।

आदेश

दिनांकः– 22.03.2021

माननीय सेशन न्यायाधीश झुंझुनूं द्वारा दाण्डिक अपील सं0 8/2021 मे निर्णय 24.02.2021 पारित होकर निर्णय प्रति सहित पत्रावली प्राप्त होने पर पूर्व नम्बर पर दर्ज मानी जाकर पेश हुई। माननीय सेशन न्यायाधीश झुंझुनूं द्वारा इस न्यायालय का आदेश दिनांक 25.01.2021 अपास्त किया जाकर इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड की है कि आदेश मे अंकित तथ्यों पर विचार करते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रावधानित जांच करने के उपरान्त समुचित आदेश यथा संभव शीघ्रता से पारित करे। प्रस्तुत प्रा0प0 के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है है कि दिनांक 05.05.2020 को मुखबीर की सूचना पर मुकेश कुमार राकेश कुमार फर्म थोक व्यापार के गोदाम टमकोर मोड, मलसीसर, तहसील मलसीसर, झुंझुनूं की जांच की। जांच मे राकेश कुमार फर्म मे भागीदार उपस्थित आए व जांच करवाई। राकेश कुमार ने जांच के समय कोई वैध कागजात गोदाम व भण्डारण आदि की सूचना के मांगने पर प्रस्तुत नही किए। Government of Rajasthan, Food and Supplies Department, Date April 09, 2020 Notification के Schedule मे शामिल वस्तुएं यथा ... दाल, चावल, तेल आदि का मुकेश कुमार राकेश कुमार फर्म थोक व्यापार ... स्थित गोदाम मे अवैध भण्डारण पाया जिनका विवरण निम्न प्रकार है:–

1. मूंगदाल सांवरिया – 12 नग, 30 किग्रा. प्रति ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.04.15 11:38:42 IST
Reason: SelfAttested

2. चीनी दाना (किताबी) – 70 नग, 50 किग्रा भरती प्रतिनग,
3. बुरा चीनी – 25 नग, 50 किग्रा भरती प्रतिनग,
4. आटा मंगलम भोग – 25 नग, 50 किग्रा भरती प्रतिनग,
5. आटा श्री ब्रांड –11 नग, 50 किग्रा भरती प्रतिनग,
6. आटा मंगलम भोग – 30 नग, 10 किग्रा भरती प्रतिनग,
7. गेहूं सोना सिक्का –10, नग 50 किग्रा भरती प्रतिनग,
8. चना दाल श्री ब्रांड – 76, नग 30 किग्रा भरती प्रतिनग,
9. चावल डबल चाबी – 21 नग, 25 किग्रा भरती प्रतिनग,
10. फोर्चून तेल सोयाबीन 95 नग, 15 किग्रा भरती प्रतिनग,
11. मस्टर्ड तेल नेताजी – 40 नग, 15 किग्रा भरती प्रतिनग,
12. नेताजी सोयाबीन तेल 25 नग, 20 किग्रा भरती प्रतिनग

उक्त खाद्य सामग्री मय पैकिंग जप्त किया गया व जप्ती की एक प्रति राकेश कुमार को दी गई। मौके पर उपस्थित आए व्यापार मण्डल मलसीसर के अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार महाजन पुत्र श्री किशनलाल वार्ड–18 मलसीसर तहसील मलसीसर, झुंझुनूं को सुरक्षित रखने के लिए सुपुर्द किए व सुपुर्दगीनामा लिखवाया। इसप्रकार Government of Rajasthan, Food and Supplies Department, Date April 09, 2020 Notification के अनुसार मुकेश कुमार राकेश कुमार फर्म थोक व्यापार द्वारा अपने गोदाम की सूचना उक्त आदेश के अनुसार सक्षम अधिकारी को नही दी व अवैध भण्डारण किया जाना पाया जो उक्त नोटिफिकेशन का उल्लघंन है। यह आवश्यक वस्तुअधिनियम 1955 की धारा 3 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त जप्तशुदा 1 से 12 जींस को राजसात करने की कृपा करे।

न्यायालय सेशन न्यायाधीश झुंझुनू के आदेश दिनांक 24.02.2021 में अंकित तथ्य बिन्दु संख्या 1 अप्रार्थी द्वारा जब्त माल में किसी भी प्रकार की कोई मिलावट की गई है या उसके द्वारा कालाबाजारी की जा रही थी? 3 अप्रार्थी द्वारा जब्तशुदा सामान बिना बिल के कर चोरी करके क्रय किया गया है? 4 अप्रार्थी द्वारा नोटिफिकेशन के उल्लघन के परिणाम स्वरूप जब्त माल से प्रश्नगत क्षेत्र में या झुंझुनू जिले में खाद्यान संकट उत्पन्न हुआ है? 5 अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों के संबंध में समुचित जांच की आवश्यकता है? तथा 6 अप्रार्थी के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण संस्थित किया गया है? उक्त समस्त 5 बिन्दुओं पर विभागीय पैरोकार तथा वकील अप्रार्थी ने एक ही कथन करते हुये कहा कि उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में अप्रार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं चल रहीं है तथा आदेश में वर्णित बिन्दुओं में अप्रार्थी दोषी नहीं है। केवल बिन्दु संख्या 2 गोदाम के संबंध में सूचना टीन नंबर लिए जाने के समय अप्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाई गई थी अथवा नहीं अर्थात क्या वह ऐसा गोदाम था जिसके संबंध में किसी भी प्रकार से कोई सूचना राज्य सरकार के पास उपलब्ध नहीं थी? इस बिन्दु को वकील विभागीय पैरोकार तथा वकील अप्रार्थी ने स्वीकार किया है कि अप्रार्थी द्वारा नोटिफिकेशन की पालना में गोदाम की सूचना विभाग को उपलब्ध नहीं करवाई थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.04.15 11:38:42 IST
Reason: SelfAttested

बहस सुनी गई। विभागीय पैरोकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि Government of Rajasthan, Food and Supplies Department, Date April 09, 2020 Notification के अनुसार मुकेश कुमार राकेश कुमार फर्म थोक व्यापार द्वारा अपने गोदाम की सूचना उक्त आदेश के अनुसार सक्षम अधिकारी को नही दी व अवैध भण्डारण किया जाना पाया जो राज्य सरकार के नोटिफिकेशन का उल्लघंन है। यह आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त जप्तशुदा 1 से 12 जींस को राजसात करने की कृपा करे।

वकील अप्रार्थी ने बहस के दौरान निवेदन किया कि उक्त नोटिस प्रार्थी को गलत आधार पर दिया गया है । कोविड–19 के दौरान राज्य सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन कि समस्त व्यवसायी अपने गोदाम में स्टॉक व गोदाम का नक्शा प्रवर्तन निरीक्षक के कार्यालय में प्रस्तुत करेगें की जानकारी प्रार्थी को नही थी तथा ना ही प्रार्थी को उक्त नोटिस में वर्णित सामान को जप्त करने से पूर्व कोई नोटिस इस आशय का नही दिया गया कि वह अपने स्टॉक व गोदाम का नक्शा प्रवर्तन निरीक्षक के यहां प्रस्तुत करे। इस प्रकार प्रवर्तन अधिकारी द्वारा समस्त की गई कार्यवाही पूर्णतया गैरकानूनी है। प्रार्थी एक थोक व्यापारी हैं जो कोविड–19 की वजह से किराणा सामान को स्टॉक किया था कि आस–पास के व्यापारियो को परेशानी का सामना नही करना पड़े तथा लोगो तक किराणा का सामान समय पर पहुंच सके इसमें प्रार्थी की कोई बदनियती नही रही है। प्रार्थी की फर्म रजिस्टर्ड फर्म है तथा प्रार्थी ने जोसामान क्रय किया है उसका सरकार को नियमानुसर जी.एस.टी. का भुगतान किया गया है तथा प्रार्थी द्वारा फर्म का जो टीन नम्बर लिया गया था उसी समय प्रार्थी ने अपने गोदाम का नक्शा भी विभाग के यहां जमा करवा दिया था उसके बावजूद भी प्रवर्तन अधिकारी द्वारा प्रार्थी को नुकसान पहुंचाने की नियत से प्रार्थी का सामान गलत रूप से जप्त किया गया है। अतः जबाब नोटिस प्रेषित कर निवेदन है कि प्रार्थी के विरूद्व की जार ही कार्यवाही को ड्रोप फरमाया जावे तथा प्रार्थी का जप्त शुदामाल प्रार्थी को अतिशीघ्र दिये जाने का आदेश फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, बहस पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा न्यायालय सेशन न्यायाधीश झुंझुनू के आदेश का भी मनन किया न्यायालय सेशन न्यायाधीश झुंझुनू ने अपने आदेश दिनांक 24.02.2021 द्वारा प्रकरण का निस्तारण 06 बिन्दुओं की जांच कर आदेश पारित करने के निर्देश प्राप्त हुऐ है। विभागीय पैरोकार ने बहस में कथन किया है कि उक्त 05 बिन्दुओं की बाबत अप्रार्थी के विरूद्ध कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है तथा आदेश में वर्णित बिन्दुओं में अप्रार्थी दोषी नहीं है। बिन्दु संख्या 2 अप्रार्थी द्वारा खाद्य सामग्री का भण्डारण किया गया है, जिसकी सूचना उसके द्वारा विभाग को नहीं दी गई, इसे अप्रार्थी ने स्वीकार किया है। उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर हम अप्रार्थी पर 1000/– कॉस्ट लगाई जाकर प्रार्थी [illegible] खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.04.15 11:38:42 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अप्रार्थी पर 1000/– पेनल्टी लगाई जाती है तथा अप्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह भविष्य में विभाग द्वारा समय – समय पर जारी किये जाने वाले नोटिफिकेशन में दिये निर्देशों की समय पर पालना किया जाना सुनिश्चित करें तथा पेनल्टी की राशी जिला रसद अधिकारी झुंझुनू के कार्यालय में जमा करवाये। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी झुंझुनू को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 22.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
22/03/21

Signature Not Verified

Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.04.15 11:38:42 IST
Reason: SelfAttested